



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त हरिओम नीखरा पुत्र शिवशंकर नीखरा नि० मु० नयारामनगर थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन द्वारा वादी के साथ की गयी मारपीट के सम्बन्ध में थाना कोतवाली उरई में मु०अ०सं० 08/1999 (वाद संख्या – 47/2017) धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)(x) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 11.09.2023 को मा० न्यायालय स्पे० जज एससी/एसटी एक्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त हरिओम नीखरा उपरोक्त को दोषी पाते हुये 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 14,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



ADGC क्रिमिनल रणकेन्द्र
भदौरिया



कोर्ट पैरोकार राहुल लवानियाँ

✕ @jalaunpolice

📷 jalaunpolice

f JalaunPolice